अध्याय 3
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सही आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि परिचालन में है तथा सटीक और प्रभावी है, तो यह अनुकूल योजना बनाने एवं निर्णय लेने सहित राज्य सरकार को उनकी प्रबन्धन की मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है। यह राज्य सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि, की वित्तीय और परिचालन सुदृढ़ता की सही, निष्पक्ष और पारदर्शी चित्रण करने में योगदान देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि) प्रावधित करते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदानों हेतु, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उप्रप) प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। वर्ष 1997-98 से 2013-14 के दौरान प्रदत्त अनुदानों में से ₹ 22.20 करोड़ के 135 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिये गये हैं। विलम्ब की वर्ष-वार स्थिति को **तालिका 3.1** में सांराशीकृत किया गया है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	30 जून 2015 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	48	1.65
1-3	49	14.57
3-5	31	2.65
5-7	02	3.21
7 एवं अधिक	05	0.12
योग	**135**	**22.20**

स्रोत: वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित वाउचर।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया राशि का लगभग 97 प्रतिशत भाग मुख्यत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (102 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 16.23 करोड़) तथा

परिवार कल्याण विभाग (3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 5.20 करोड़) से सम्बन्धित था। यह पाया गया कि (i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में सम्मिलित ₹ 9.51 करोड़ के 6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो कि 2012-13 से आर.ओ. मशीनरी उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब होने के कारण बकाया थे, जिसके परिणामस्वरूप स्थापना में विलम्ब हुआ और (ii) पंचायती राज विभाग के ₹ 5.20 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिनके लिए 2007-10 के दौरान परिवार कल्याण प्रोत्साहन पारितोषिक के लिए निधियां स्वीकृत की गई थी, प्रतीक्षित थी।

विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना अनुदानों के उपयोग की प्रणाली में दोष, तथा वित्तीय अव्यवस्था होना इंगित करता है।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

संस्थाऐं, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन आकृष्ट होती हैं, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदान की गयी सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आगे, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख जो कि निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते है, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची, जिनको कि गत वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख या अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया हो, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी हो एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय, इंगित करते हुए लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त 198 लेखाओं में से 87 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आकर्षित हुई। इनमें से 41 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जून 2015 तक की गयी। निकायों एवं प्राधिकरणों, जिन्होने विभिन्न शासकीय विभागों से पूर्व वर्षो के दौरान अनुदान प्राप्त किया है, के लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है तथा उसकी वर्ष-वार बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं की वर्ष-वार बकाया

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अनुदान (₹ करोड़ में)	गत वर्ष के दौरान किया गया खर्च (₹ करोड़ में)
0-1 वर्ष	15	74.48	76.13
1-3 वर्ष	19	107.19	204.62
3-5 वर्ष	02	2.21	4.24
5 वर्ष से अधिक	02	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
योग	**38**	**183.88**	**284.99**

यह देखा जा सकता है कि 21 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में एक से पाँच वर्षों तक का विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि किसी भी विभाग द्वारा प्रयोजन, जिसके लिए सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा, विधानमण्डल/सरकार को स्वीकृत अनुदान के उपयोग, विशेष रूप से विपथन या दुरूपयोग के मामलों में, आश्वस्त नहीं कर सका।

वर्ष 2013-14 तक देय 111 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 38 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 85 वार्षिक लेखे जून 2015 तक प्राप्त नहीं हुये थे।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा, विधिक सहायता, मानवाधिकार, खादी विकास एवं निर्माण कर्मकार कल्याण क्षेत्र में चार[1] स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत सौंपी गई है। जबकि, अन्य तीन निकायों की लेखापरीक्षा, सम्बन्धित अधिनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी, लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना एवं इसके विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शायी गयी है। यह देखा जा सकता है कि सभी चार स्वायत्त निकायों के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लेखे 2 से 14 महीनों के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

3.4 विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों, जो अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करते हैं, द्वारा वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक वर्ष प्रोफॉर्मा लेखे तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं, ताकि सरकार उनके कार्यों का आँकलन कर सके। विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यावसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते है। समय पर लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में, जवाबदेयता सुनिश्चित करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हों, समय से नहीं जा सकते।

[1] राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, जयपुर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर।

सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करें और उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करें। मार्च 2015 तक, 10 में से मात्र 8 उपक्रमों द्वारा वर्ष 2013-14 तक के लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये गये। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने तथा सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.4*** में दी गई है।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) का नियम 20 प्रावधित करता है कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 तक विभिन्न विभागों के, राशि ₹ 56.81 करोड़ के दुर्विनियोजन (335) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (573) के कुल 908 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही (जून 2015) लम्बित थी। लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन, प्रत्येक श्रेणी में लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसाकि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.3** में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि का प्रोफाइल

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0-5	216	2632.03	सामग्री की चोरी/हानि	**573**	**1240.14**
5-10	224	1167.03	दुर्विनियोजन/गबन	**335**	**4440.48**
10-15	209	995.35			
15-20	133	533.78			
20-25	69	230.69	-	-	-
25 एवं अधिक	57	121.74	-	-	-
योग	**908**	**5680.62**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**908**	**5680.62**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब का कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	261	2221.68
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	569	2942.24
न्यायालयों में लम्बित	78	516.70
योग	**908**	**5680.62**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

3.6 निजी निक्षेप खाते

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि उन्हें किन्हीं कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2014-15 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में राशि ₹ 21,504.36 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय ₹ 1,10,645 करोड़ का 19.4 प्रतिशत था। इसमें से, अकेले मार्च 2015 में ₹ 2,742.78 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये। इनमें से, ₹ 1,340.88 करोड़ (₹ 1,162.89 करोड़ राजस्व खाते में एवं ₹ 177.99 करोड़ पूंजीगत खाते में) अन्तिम तीन दिनों में हस्तान्तरित किये गये। मार्च के अन्तिम दिनों में व्यापक राशि का हस्तान्तरण अपर्याप्त बजटरी नियन्त्रण को दर्शाता है।

31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार के निजी निक्षेप खातों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	खातों की संख्या	राशि
प्रचलित निजी निक्षेप खाते	21,504.36	21,527.41	1,459	2,838.65
*अप्रचलित निजी निक्षेप खाते**	..	..	12	0.20
योग	**21,504.36**	**21,527.41**	**1,471**	**2,838.85**

* *पाँच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय*

वर्ष 2014-15 के दौरान, 1,471 पीडी खातों में ₹ 2,838.85 करोड़ का अव्यतीत शेष था, जिसमें ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक शेष वाले तीन पीडी खातों[2] का ₹ 1,007.40 करोड़ का अव्यतीत शेष, जो कि पीडी खातों में बकाया राशि का 35.49 प्रतिशत है, सम्मिलित है। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संधारित पीडी खातों की समीक्षा में निम्नलिखित मुख्य: कमियाँ/अनियमितताऐं प्रकट हुई:

(1) *अप्रचलित निजी निक्षेप खाते*

राजस्थान कोषालय नियमावली, 2012 के नियम 98 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में कोषाधिकारी अपने अधीन सभी कोषालयों और उपकोषालयों के प्रचलित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा पिछले पाँच पूर्ववर्ती वर्षों में अप्रचलित रहे खातों की सूची वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु तैयार करेगा, तथा आवश्यक विवरण एवं खातों में रहे शेष जमा राशि के साथ सूचना ऐसे खातों को बन्द करने की सहमति लेने हेतु सूचित करेगा।

[2] (अ) राजस्थान शहरी निर्माण वित्तीय विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 560.90 करोड़) , (ब) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कम्प्यूटर इम्फो सेवा लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 306.31 करोड़), (स) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 140.19 करोड़)।

31 मार्च 2015 को, ₹ 20.14 लाख ***(परिशिष्ट 3.7)*** के 12 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2010-15) से अप्रचलित थे, जिसमें मुख्यत: 3 पीडी खाते, (राफल्स विश्वविद्यालय, नीमराणा, अलवर; अधीक्षण अभियंता, शहरी आधारभूत विकास योजना, बीकानेर तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए उच्च शिक्षा एकेडमी, जयपुर, सचिवालय) में ₹ 5 लाख, ₹ 5 लाख तथा ₹ 3.17 लाख की शेष राशि के साथ सम्मिलित थे। कोषालय अधिकारी, अलवर तथा बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बन्द करने के प्रस्ताव वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भिजवा दिये गये है।

(2) *ऋणात्मक शेष के बावजूद पीडी खाते से धन की निकासी*

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(1)(iii) के अनुसार निक्षेप खातों से किसी भी परिस्थिति में जमा राशि से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2014-15 के दौरान, नीचे दर्शित छ: पीडी खातों में राशि ₹ 9.49 करोड़ के ऋणात्मक शेष पाये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम**	कोषालय	पी.डी. खाता नम्बर	राशि (- शेष)	डीडीओ/पी.डी. खाता की संख्या
1.	नई पेंशन योजना	बारां	479	0.43	01
2.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	बारां	480	0.01	01
3.	नई पेंशन योजना	चूरू	479	1.87	01
4.	कोषाधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम	जयपुर (शहर)	3494	6.49	01
5.	एचडीएफसी को भवन निर्माण अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु	जयपुर (शहर)	3637	0.66	01
6.	एसबीबीजे को भवन निर्माण अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु	जयपुर (शहर)	3638	0.03	01
योग				**9.49**	**06**

यह पीडी खातों के प्रचालन तथा रखरखाव में सर्वान्गी कमी को इंगित करता है जिससे वित्तीय दुर्विनियोजन एवं कुप्रबन्धन का भय रहता है।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

3.7 लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत पुस्तांकन

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक निर्णायक घटक यह है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जाये और अद्यतन किया जाये ताकि वे समस्त महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति एवं व्यय को पारदर्शी तरीके से वस्तुत: दर्शा सकें।

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 57 मुख्य लेखाशीर्षों

(जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 7,500.85 करोड़ लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 6.78 प्रतिशत से अधिक थे।

मुख्य योजनाऐं जिनमें व्यय वित्त लेखों में अलग से वर्णित नहीं थे, परन्तु लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गए, नीचे दर्शाये गये है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	राशि
1.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सिंचाई परियोजनाऐं	440.31
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना	445.05
3.	जिला एवं अन्य सड़कों पर पूँजीगत परिव्यय	1,672.21
4.	बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अन्तर्गत निवेश अनुदान	174.64
5.	अच्छे देनदारों को सहकारिता के अन्तर्गत सहयोग हेतु ब्याज अनुदान	260.04
6.	शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय	133.98
7.	जिला एवं अन्य सड़कें	669.87
8.	छोटे तथा मध्यम किसानों को कृषि फसलें, बागवानी फसलें तथा वार्षिक लीज फसलों हेतु कृषि आवक अनुदान	387.53
9.	छोटे तथा मध्यम किसानों हेतु कृषि आवक अनुदान	218.33
10.	पंचायत चुनावों पर व्यय	123.29
11.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	774.71
12.	नर्बदा परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सिंचाई परियोजनाऐं	210.81
13.	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत व्यय	207.51

यद्यपि, इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए नीचे दी गई विस्तृत मांग तथा सम्बन्धित शीर्षवार विनियोग लेखे, जोकि राज्य सरकार के लेखों के हिस्से है, में किया गया है, तथापि 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत अंकित अधिक राशि भी वित्तीय रिर्पोटिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

3.8 पुस्तक समायोजन

सामान्यत: राज्य के लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रस्तुत करते है। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान 60 मदों[3] में ₹ 8,169.29 करोड़, समेकित निधि से लोक लेखा अथवा लोक लेखा से समेकित निधि में पुस्तक समायोजन के द्वारा अंतरित किये गए। पुस्तक समायोजन मुख्यत: राज्य प्रावधयी निधि के शेषों पर ब्याज, सिंचाई योजना के पूँजीगत व्यय पर ब्याज, राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा एवं बाढ़ पर व्यय, राज्य आपदा मोचन निधि केन्द्र एवं राज्य के अंश का अन्तरण, जीवन बीमा निगम के शेष पर ब्याज, गारन्टी शुल्क का गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरण से सम्बन्धित थे।

[3] मदों का विवरण राजस्थान सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे (खण्ड- I) में दिया गया है।

3.9 प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे राज्य सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करें।

वर्ष 2014-15 के दौरान, (i) 406 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उनके ₹ 1,16,605.48 करोड़ के कुल व्यय का (ii) 156 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उनकी ₹ 91,341.48 करोड़ की कुल प्राप्तियों (विविध पूंजीगत प्राप्ति शामिल करते हुए) का, शत प्रतिशत अंकमिलान किया गया।

3.10 मुख्य उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष

संघ एवं राज्यों की मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, प्राप्ति एवं भुगतानों के संव्यवहार, जिन्हें इनकी प्रकृति अथवा अन्य कारणों की सूचना के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में कुछ मध्यवर्ती/समायोजनीय लेखाशीर्ष, जिन्हें ''उचन्त शीर्ष'' के रूप में जाना जाता है, प्रचालित किये जाते हैं। जब इन शीर्षों की राशि संबंधित अंतिम लेखे शीर्षो में पुस्तांकित कर ली जाती हैं तब ये लेखे शीर्ष, ऋण नामे अथवा ऋण जमा के द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर लिये जाते हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है, तो ये राशियाँ उचन्त शीर्षों में संचित रहती हैं एवं सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय सही रूप से दर्शित नहीं होते।

उचन्त शेषों का खाता, उप/विस्तृत शीर्षवार, जैसा भी आवश्यक हो, वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा संधारित किया जाता है।

31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष ''8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत ₹ 11.26 करोड़ (नामे) का कुल निवल शेष था जिसमें कि वर्ष 2012-13 के ₹ 10.27 करोड़ (जमा) से ₹ 21.53 करोड़ की कमी हुई। यह कमी मुख्यत: वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त (₹ 35.77 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2014-15 में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त (₹ 13.51 करोड़) के अन्तर्गत निवल नामे शेष में बढ़ोतरी से प्रतिसंतुलित हुई।

वित्त लेखे में उचंत लेखों के निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं, इस कारण इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक स्थिति राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकार के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित नहीं हो पाती है। मुख्य शीर्ष ''8658-मुख्य उचन्त लेखे'' की गत तीन वर्षों के उचन्त शेषों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.8*** में दी गई है।

3.10.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त

यह लघु शीर्ष, संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न हुये अन्तर-सरकारी एवं अन्तर्विभागीय संव्यवहारों के निपटान के लिये प्रचालित किया

जाता हैं। मार्च 2015 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 47 करोड़ का नामे शेष तथा ₹ 1.37 करोड़ का जमा शेष बकाया था। मुख्यत: ''वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त शीर्ष'' में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	27.31	-
2.	वेतन एवं लेखाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर	18.99	0.16
3.	वेतन एवं लेखाधिकारी (ईआरआईएस एवं बैंकिंग) आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	0.47	-
4.	वेतन एवं लेखाधिकारी निर्वाचक कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	-	1.06
5.	वेतन एवं लेखाधिकारी (विधि मामलात), विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	0.20	0.14

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वेतन एवं लेखाधिकारियों के निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) उनके द्वारा 31 मार्च 2015 को वसूल/भुगतान किये जाने थे। वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त के अन्तर्गत जमा एवं नामे शेष तथा उनका लगातार संचित होना, महत्वपूर्ण नियंत्रण दोष को इंगित करता है।

3.10.2 उचन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष, उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिये प्रचालित किया जाता है जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति अथवा व्यय के अन्तिम शीर्ष में नहीं दिखाया जा सकता है।

31 मार्च 2015 को लघु शीर्ष में ₹ 2.26 करोड़ (नामे) एवं ₹ 0.19 करोड़ (जमा) का बकाया शेष था, जो ₹ 2.07 करोड़ की निवल प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है। मुख्यत: ''वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त'' शीर्ष में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	नियत्रंक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद:	1.02	0.01
2.	नियत्रंक रक्षा लेखा (दक्षिण कमान), पुणे	0.34	-
3.	निदेशक, डाक लेखा, कोलकाता के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम उचंत	0.70	(-) 0.02
4.	अवर्गीकृत उचन्त	0.20	0.21

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) जिनका एकाकी निपटारा होना आवश्यक है को सम्बन्धित लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज नहीं किया गया। आगे, वित्त लेखों के अनुसार रक्षा लेखा के पास वर्ष 1977-78 से शेष ₹ 1.36 करोड़ (नामे) तथा ₹ 0.01 करोड़ (जमा) बकाया थे तथा डाक लेखा, कोलकाता के पास 1969-70 की अवधि के भवन

निर्माण अग्रिम उचन्त के शेष ₹ 0.70 करोड़ (नामे) तथा (–) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया थे। ये पुराने शेष राज्य वित्त प्रतिवेदनों के साथ-साथ वित्त लेखों द्वारा पूर्व वर्षों में प्रतिवेदित किये गये हैं। तथापि, परिशोधन हेतु कार्यवाही अभी तक लम्बित है।

3.10.3 सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा

क्रय द्वारा अथवा अंत:प्रभागीय हस्तानान्तरणों के माध्यम से प्राप्त हुए भण्डारों के ऐसे सभी मामलों में, जहाँ भण्डारों की प्राप्ति के माह में ही भुगतान नहीं किया गया हो, को प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। इस शीर्ष का समाशोधन भण्डारों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ता/प्रभाग को भुगतान करने पर प्रतिलेखा प्रविष्टि (ऋणात्मक जमा) द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत, तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न की गई शेष राशियों को, राजस्व में जमा द्वारा समाशोधित किया जाना चाहिये।

भण्डार क्रय के समायोजन के अभाव में इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को (–) ₹ 3.13 करोड़ (जमा) का शेष बकाया था। लघु शीर्ष के अन्तर्गत समाशोधित नहीं किया जाना, सरकार के महत्वपूर्ण नियन्त्रण दोष को इंगित करता है।

3.11 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्वीकृत की गयी ₹ 22.20 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। नमूना जाँच में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 16.23 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (₹ 5.20 करोड़) के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नही करने के मामले ध्यान में आये।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के निर्धारित समय में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कारकों की पहचान की जानी चाहिए जिनके कारण प्रस्तुतीकरण में रूकावट आती है।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 38 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में लेखे पिछले एक से ग्यारह वर्षों से बकाया थे।

लेखों के बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए एवं उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

राशि ₹ 56.81 करोड़ की राशि के सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के 908 बकाया प्रकरणों में से, ₹ 22.22 करोड़ के 261 प्रकरणों में विभागीय प्रक्रिया एवं आपराधिक जाँच बकाया थी। आगे, ₹ 29.42 करोड़ के 569 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे जो जवाबदेयता निर्धारित करने में सरकार की पहल की कमी को इंगित करते है।

जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निबटानी चाहिये। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

दिव्या मल्होत्रा

जयपुर, **(दिव्या मल्होत्रा)**
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली, **(शशि कान्त शर्मा)**
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक